

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(130)/ V.S.2025/Power/1355 - 1357

Dated: 20/3/2025

To,

The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat, Delhi – 110054

Sub: UnStarred Question No.45

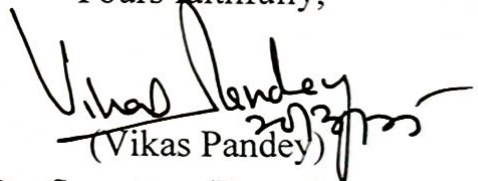
Sir,

Please find enclosed copy of reply of the UnStarred Question No.45 for 24.03.2025 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister (Power).

Encl. As above

Yours faithfully,


(Vikas Pandey)

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD


(Vikas Pandey)

Dy. Secretary (Power)

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-45
दिनांक :-24.03.2025

प्रश्नकर्ता श्री अभय वर्मा

क्या माननीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग से क्या-क्या काम कराए गए और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;	संबंधित बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अर्तगत 1200 स्ट्रीट लाईट लगाई गई है जिनपर लगभग 35.6 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।
ख)	बिजली विभाग के खम्भों पर गैर कानूनी तरीके से लटकाए गए तारों के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है तथा विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ;	बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि वे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। अनअर्थोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर की पिछले 2 वर्षों में लक्ष्मी नगर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 618 खम्भों से गैर कानूनी/अनाधिकृत इंटरनेट और केबल टीवी के तारों को माननीय विधायक, पार्षदों, आर.डब्ल्यू. और निवासियों के अनुरोध पर हटाया गया है।
ग)	आए दिन खम्भों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि खम्भों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लोड संतुलन और निवारक रखरखाव के साथ-साथ वितरण बक्सों के तापमान की निगरानी के लिए थर्मोग्राफी करता है। अनाधिकृत इंटरनेट और केबल टीवी के तारों को नियमित रूप से हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई सर्विस केबल को कम करने के लिए 3 फेस बसबार बॉक्स लगाया जाता है।
घ)	बुक प्रोपर्टी में मीटर ना लगाने के प्रावधान के बावजूद अवैध रूप से मीटर लगाने पर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही का प्रावधान है और अब तक ऐसी कितनी संपत्तियों पर कार्यवाही की गई है ?	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों में जहां मीटर अवैध रूप से लगाये गये हैं, जानकारी मिलते ही बिजली आपूर्ति को काटने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। बीवाईपीएल द्वारा कुल 26 कनेक्शन काटे गये हैं।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।



(विकास पाण्डे)
उप सचिव (ऊ र्जा)

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02